भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान 4.0 चलाने का निर्णय लिया है।

इस संदर्भ में, शिकायत निवारण, रिकॉर्ड प्रबंधन, अप्रासंगिक फाइलों को हटाने और केंद्रीय विद्यालयों की समग्र स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, जिससे कार्य वातावरण में सुधार हो सके। विद्यालय में पड़े अनुपयोगी स्क्रैप सामग्री और अप्रचलित वस्तुओं का निपटान, सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) और केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय द्वारा दिनांक 04.02.2009 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 11023/04/08-KVS(HQ) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया। कार्यालयों और विद्यालय की स्वच्छता, स्थान प्रबंधन और सौंदर्यीकरण के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। विद्यालय ने शौचालयों और जल स्रोतों की सफाई के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया है। इस अभियान के दौरान विद्यालय परिसर की सामान्य स्वच्छता और सौंदर्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।